



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605।

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2012/अग्रहायण 6, 1934

No. 605।

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2012/AGRAHAYANA 6, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 851(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण) भर्ती नियम, 1972, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुशेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अन्तर्राष्ट्रीय

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1 * (2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ‘क’ राजपत्रित अनुसंधानीय	वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 6600रु.	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं ।	आवश्यक :
		* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।		टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।	(i) किसी सरकारी कार्यालय या लोक निकाय या स्वशासी निकाय में लेखा और स्थापन कार्य का पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं

		<p>उपर्युक्त, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मीप के अध्यार्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>अन्यथा सुअहित अध्यार्थियों की दशा में संघ लोक सेवा के आयोग विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अहंता(अहंताएं) संघ लोक सेवा के आयोग विवेकानुसार अनुसृचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शिक्षितों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--	--	---

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।</p>	<p>(8)</p> <p>नहीं</p>	<p>(9)</p> <p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।</p>	<p>(10)</p> <p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर व्यक्तियों की प्रतिशतता</p>
<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।</p>	<p>(11)</p> <p>प्रोन्नति : वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 5400रु. में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो ।</p>	<p>(12)</p> <p>प्रोन्नति : वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 5400रु. में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो ।</p>	<p>(13)</p> <p>प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रतिशतता</p>
<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।</p>	<p>(11)</p> <p>प्रोन्नति : वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 5400रु. में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो ।</p> <p>टिप्पण 1 : ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को, जो प्रोन्नति के लिए विचार पक्षेत्र में आते हैं, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने पूर्व सचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले सर 'स' प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।</p>	<p>(12)</p> <p>प्रोन्नति : वेतन बैंड-3 (15600-39100रु.) + ग्रेड वेतन 5400रु. में ऐसे प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो ।</p> <p>1. सलाहकार या संयुक्त सचिव भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का भारतसाधक, पर्यावरण और वन मंत्रालय - अध्यक्ष ;</p> <p>2. निदेशक या उप सचिव, (संस्कारण और सर्वेक्षण), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य ;</p> <p>3. निदेशक,</p> <p>भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रतिशतता</p>

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

<p>या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवेश की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>1. सलाहकार या संयुक्त सचिव भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का भारसाधक, पर्यावरण और वन मंत्रालय - अधिक ; 2. निदेशक या उप सचिव, (संस्कण और सर्वेक्षण), पर्यावरण और वन मंत्रालय - सदस्य ; 3. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य  </p>
<p>टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिरक्षण प्राप्त है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्त्वानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्रों के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) मूल काड़र या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) मूल काड़र या विभाग में वेतन बैंड-3 (15600-</p>	

4426 (9) 12-2

39100रु.) +ग्रेड वेतन5400रु. या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा ; और

(ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 7 के अधीन शैक्षिक अहताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1 : पोषक ग्रवर्ण के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पांक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन

आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उल्लङ्घन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

[फा. सं. 01/13/2011-सीएसबी]  
बी.एम.एस. गठौर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2012

**G.S.R. 851(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Senior Administrative Officer (Botanical Survey of India), Recruitment Rules, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Administrative Officer in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Senior Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. — The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualification. — No person, —
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1 Senior Officer.	2	3 General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	4 Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay - Rs. 6600.	5 Selection.
Age limit for direct recruits.	Educational qualifications required for direct recruits.	Whether educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6	7	8	9	10 By promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment.
Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	Essential: (i) Degree from a recognised University. (ii) Five years' administrative experience of administration, accounts and establishment work in a Government office or a Public Body or an Autonomous Body.	No.	Two years for direct recruits.	
Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed				

4426 G2/12-3

for those in Meghalaya, Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangj sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Desirable :	<p>Two years' experience in application of Government rules and regulations.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	-------------	---

<p>In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.</p> <p>11</p>	<p>Promotion: Administrative Officers in pay band-3 of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 with five years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The Administrative Officers who are in the zone of consideration for promotion, will have to participate and successfully complete level 'D' training program to be conducted by Institute of Secretariat Training and Management before being considered for promotion to the post of Senior Administrative Officer.</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</p> <p>12</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.</p> <p>13</p>
<p>Group 'A' Departmental Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advisor or Joint Secretary in-charge of Botanical Survey of India, Ministry of Environment and Forests – Chairman;</li> <li>2. Director or Deputy Secretary, (Conservation and Survey), Ministry of Environment and Forests - Member;</li> <li>3. Director, Botanical Survey of India – Member.</li> </ol> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility</p> <p>Group 'A' Departmental Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advisor or Joint Secretary in-charge of Botanical Survey of India, Ministry of Environment and Forests – Chairman;</li> <li>2. Director or Deputy Secretary</li> </ol>			

4426 GTI 2-4

<p>service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Conservation and Survey), Ministry of Environment and Forests - Member; 3. Director, Botanical Survey of India - Member.</p>
<p>Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.</p>	<p>Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories, (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in pay</p>

band 3 of Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and  
 (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January,

2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

[F. No. 01/13/2011-CSB]  
B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)